न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र संख्या 102/24 | दायर दिनांक 18.10.2024 | निर्णय दिनांक 17.06.2025

बउनवान

1. राहुल शर्मा पुत्र श्री रमेश शर्मा जाति जांगिड निवासी जिन्दौली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 हाल निवासी बाई 40 ग्राउण्ड फलोर हरिनगर बी ई ब्लॉक मायापुरी, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली। :– प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये लेण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0। <u>अप्रार्थी</u>

प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

श्री अमित चौधरी – प्रार्थी वकील

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

आराजी खसरा नम्बर 1852 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम बेहरोज तह0 मुण्डावर में स्थित है। उक्त आराजी में हो रहा प्रार्थी का नाम दुरूस्त बाबत विवाद है। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। आराजी मुतनाजा प्रार्थी की खानदानी आराजी है। जिस पर कदीमी काबिज होकर प्रार्थी काश्त करता आ रहा है मौके पर आज भी प्रार्थी अपने हिस्से पर व अन्य हिस्सेदारान अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त कर रहे है। आराजी मुतनाजा में अन्य सहखातेदारानन से व उनके हिस्से से प्रार्थी कोई अनुतोष नही चाहता है ना ही प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे चाहे गये अनुतोष से सहखातेदारान के अधिकार, हिस्सा या कब्जा प्रभावित हो रहे है इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में सहखातेदारान आवष्यक पक्षकार नही है। आराजी मुतनाजा कब्जा बाबत मौके पर कोई विवाद नही है सभी खहखातेदार अपने हिस्से व स्थान पर काबिज है। आराजी मुतनाजा में सहवन से प्रार्थी का नाम गजेन्द्र दर्ज हो रहा है जबकी प्रार्थी का वास्तविक नाम राहुल शर्मा है और राहुल शर्मा के नाम से सभी दस्तावेजात

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी के बने हुये है। प्रार्थी इसी नाम से जाना पहचाना जाता है। आराजी मुतनाजा में गलती से प्रार्थी का नाम राहुल शर्मा के स्थान पर गजेन्द्र अंकित हो गया है जबकी प्रार्थी के परिवार में गजेन्द्र नाम का कोई व्यक्ति जीवित या मृत्य नही रहा है प्रार्थी के परिवार में गजेन्द्र नाम का व्यक्ति ना तो वर्तमान में कोई जीवित है ना कभी पहले इस नाम का कोई व्यक्ति रहा है। प्राथी का नाम ही गलती से राहुल शर्मा के स्थान पर गजेन्द्र दर्ज किया गया है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकोर्ड में गजेन्द्र रहने से प्रार्थी अपने अधिकारो से महरूम रह रहा है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकोर्ड में गजेन्द्र दर्ज रहने से प्रार्थी केडिट कार्ड से ऋण उठाने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से व आराजी पर विधुत कनैक्शन लेने, विक्रय करने विनिमय करने के अधिकारो से वंचित रहा है। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त आराजी खसरा नम्बर हाल 1852 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम बेहरोज तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकोर्ड में अंकित नाम गजेन्द्र के स्थान पर राहुल शर्मा पुत्र श्री रमेष शर्मा नाम दर्ज किये जाने के आदेष फरमाये जाने की कृपा करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करावाई गई, अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया। जो पत्रावली शामिल है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2076–79, आधार कार्ड, पैनकार्ड, डाईवरी लाईसन, बैक पास बुक, शपथ पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत जिन्दौली का लैटर पैड की प्रति पेश की।

प्रार्थी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी प्रार्थी की खानदानी है। प्रार्थी का दस्तावेजात में सही नाम राहुल शर्मा है राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

रिकोर्ड में प्रार्थी का गलत नाम गजेन्द्र दर्ज है। राजस्व कर्मचारियो द्वारा बिना जॉच करे ही राहुल शर्मा के स्थान पर गजेन्द्र दर्ज कर दिया गया। जिसे दुरूस्त किये जाने का अधिकारी है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन, प्रार्थी वकील की बहस पर मनन करने पर प्रार्थना पत्र का विवेचन इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तोवाज में प्रार्थी नाम गजेन्द्र ना होकर राहुल है। इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के उक्त विवेचन के अनुसार यह न्यायालय प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार मुण्डावर को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1852 रकबा 0.30 है0 में अंकित गजेन्द्र को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर राहुल शर्मा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

Scanned with OKEN Scanner